न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर
अपील अंतर्गत धारा 53 अपील सं. 31/2019
नवलाराम बनाम मोहन

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03-5-19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस में बहस सुनी गई। अपीलांट की न्यायालय में उपस्थिति। अपीलांट पक्ष का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ रिकॉर्ड के खसरा नं. 435/102 रकबा 32 बीघा का जो विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसमें अपीलांट नवलाराम को दी गई भूमि का रकबा कम है जबकि रेस्पोंडेंट मोहन के हिस्से में रकबा अधिक रखा गया है। विभाजन यदि नियमानुसार By Metes and Bound कर बराबर-2 हिस्सा दे दिया जावे तो उचित है, विवाद का निपटारा हो जायेगा। अपीलांट पक्ष का दावा है कि प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा दि. 11.09.15 में अपीलांट के हिस्से में दी गई भूमि का रकबा का आकलन कर लिया जावे तो रकबा कम दिया जाना स्पष्ट हो जायेगा। शेष खसरों के विभाजन पर अपीलांट द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई जिससे उनके संबंध में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नहीं की गई। रेस्पोंडेंट वकील का बहस में कथन है कि मौके पर भूमि का विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव के संलग्न (दि. 11.9.15) नक्शा एवं तहसीलदार बायतू की उपस्थिति में तैयार कर प्रस्तुत हुआ है और इसमें उभय पक्ष को बराबर-बराबर (लगभग) रकबा दिया गया है। इसमें केवल 4 बिस्वा का अंतर है जो विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट को 16.02 बीघा व रेस्पो. को 15.18 बीघा भूमि हिस्से में दी गई है। कुल भूमि में अपीलांट नवलाराम को 02 बिस्वा भूमि अधिक दी गई है अतः अपील खारिज करने योग्य है। अपीलांट की आपत्ति के संबंध में दक्ष दल द्वारा ख.नं. 435/102 की रकबा बराबरी करवाई गई। इस दक्ष दल में श्री रणछोड़दास सोनी ILR बाड़मेर तथा श्री नवनीतकुमार शर्मा ILR शहीगांव को शामिल किया गया। उन्होंने निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से विवादित खसरा नं. 435/102 की रकबा बराबरी करते हुए लगभग बराबर-2 हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव; रेस्पोंडेंट की ढाणी के ईर्द-गिर्द कुछ हिस्सा छोड़कर, बनाया जो पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन नक्शा दि. 11.9.15 में ही ABCDEFGHIJKA से मार्क कर अपीलांट नवलाराम के हिस्से में रखा गया और न्यायालय द्वारा बाद संतुष्टि एवं सत्यापन सही कर तहरीर किया गया। इस प्रकार अब विभाजित नक्शा,	

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	जिसे अनुलग्नक "अ" से इंगीत किया गया है, इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। उपरोक्त विवेचन, आपत्ति एवं इन पर की गई न्यायसंगत कार्यवाही के मद्देनजर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय के संलग्न नक्शा दि. 11.09.15 में आंशिक संशोधन परिशिष्ट "अ" अनुसार करते हुए अपीलांट के हिस्से में दर्शाई ABCD EFGHIJKA की भूमि तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार, बायतू को दिये जाते हैं। इसके अलावा शेष निर्णय में किसी प्रकार के दखल की आवश्यकता नहीं है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। 03/5/2019 राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व ... बाड़मेर

Scanned by CamScanner

मौके का नक्शा [illegible]

मौजा - [illegible] की ढाणी

प. ह. - [illegible]

तहसील - बायतु

पैमाना - 1 = 20 [illegible]

अनुलग्नक "[illegible]"

(25)

आज दि. 3.5.19 को [illegible] व AI [illegible] के ख. नं. 435 के रकबे की [illegible] [illegible] नक्शे में से AB C EF G H I J K A के अन्दर [illegible] को नवलाराम के [illegible] में [illegible] की [illegible] रखा गया है। शेष खसरों के संबंध में कोई [illegible] होने से [illegible] रखा गया है।

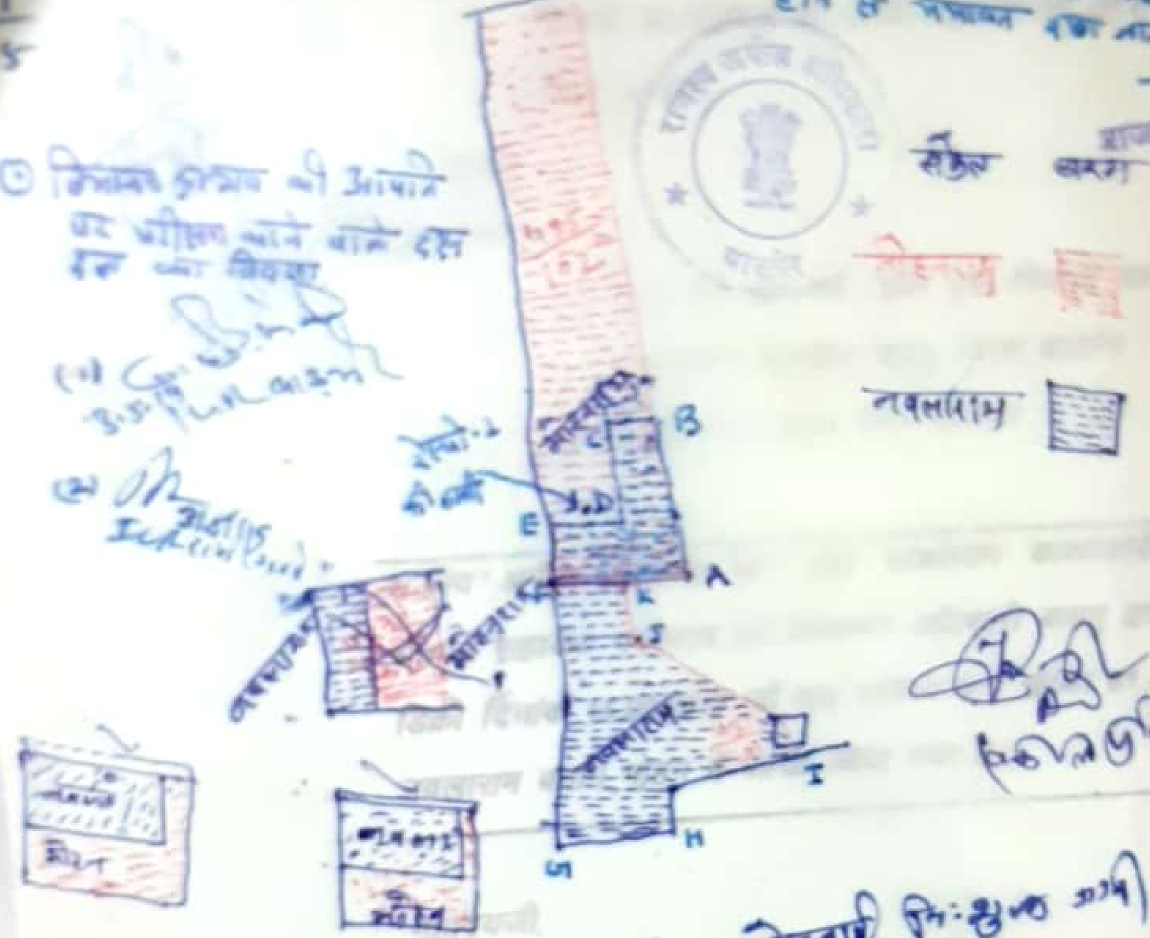

सहमति प्रयोजनार्थ [illegible]

पटवारी (भू.-अ.)
पटवार मण्डल [illegible]

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

11.09.15 मुकाम

मोहनलाल

नवलाराम

वादी [illegible]